

न्यायालय समाहर्ता / जिला पदाधिकारी,
सहरसा

ऑगनबाडी अपील वाद संख्या- 60 / 2016

प्रथम पक्ष:- (1) आयशा तवस्सुम पति- ऐहरार अहमद,
साकिन+पोस्ट- सरवेला, वार्ड नं०- 09,
थाना- सलखुआ (ओ०पी०बनमा),
अंचल- बनमा ईटहरी, जिला- सहरसा।

द्वितीय पक्ष:- (1) सीमा फिरदौस पिता- मो० सरवर आलम,
साकिन+पोस्ट- सरवेला,
थाना- सलखुआ (ओ०पी०बनमा),
अंचल- बनमा ईटहरी, जिला- सहरसा।

(2) जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा।

(3) बाल बिकास परियोजना पदाधिकारी, प्रखंड- बनमा ईटहरी, जिला-
सहरसा।

-::आदेश::-

03.06.2019

प्रस्तुत अभिलेख की कार्यवाही का प्रारंभ उपनिदेशक कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा के न्यायालय में अपीलार्थी प्रथम पक्ष की ओर से दाखिल अपील आवेदन के आलोक में दिनांक 26.07.2014 को किया गया। समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3226 दिनांक 11.08.2015 के आलोक में अभिलेख हस्तान्तरित होकर अग्रतर कार्यवाही, सुनवाई व निराकरण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

अपीलार्थी दिनांक 10.06.2017 अर्थात् करीब विगत दो वर्ष से लगातार अनुपस्थित चले आ रहे हैं। उक्त तिथि के पश्चात् अपीलार्थी न तो कभी उपस्थित हुए और न ही उनके तरफ से किसी प्रकार का पक्ष प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस वाद के निष्पादन में उनकी रूची समाप्त हो गयी है। दूसरी ओर प्रतिवादी संख्या- 01 के अधिवक्ता के साथ प्रतिवादी संख्या- 02 व 03 के ओर से सरकारी अधिवक्ता द्वारा भी इस स्थिति में वाद की कार्यवाही को समाप्त किये जाने का अनुरोध किया जा रहा है।

अतः अपीलार्थी की रूचि वाद के निष्पादन में समाप्त होने और प्रतिवादी के ओर किए गए अनुरोध के आलोक में अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।
उपस्थापक निम्न न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ संबंधित

को भेजे।

लेखापित व शुद्धिकृत

जिला पदाधिकारी
सहरसा।

जिला पदाधिकारी
सहरसा।

ज्ञापांक 379 / न्याया0, सहरसा, दिनांक 25.07.19

प्रतिलिपि :- जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा को निम्न न्यायालय के अभिलेख आँगनबाड़ी अपील वाद संख्या- 77/2013-14, आयशा तबरसुम बनाम सीमा फिरदौस के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

✓ प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

25/07/19

प्रभारी पदाधिकारी,

जिला विधि शाखा, सहरसा।
22/07/19

जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी (सी0)
सहरसा

A. M - 1130
29.07.19